राष्ट्रीय सुरक्षा जागरण मंच

Forum for Awareness of National Security (FANS)
(Regd. No. S/1723/District South/2014)
101, H.I.G. DDA Flats, Block-1,
Motia Khan, Paharganj Pin Code. 110055.
M: 8178828297, 8375965010 Ph: 011-43524524

प्रस्ताव क्रम संख्या - 1

सम्पूर्ण जम्मू एवं कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है

जम्मू और कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है। जम्मू कश्मीर का भारत में विलय क़ानूनी प्रक्रिया और सवैधानिक ढांचे के अंतर्गत हुआ था। 1 मई 1951 को युवराज श्री कर्ण सिंह के द्वारा जम्मू कश्मीर की संवैधानिक सभा के गठन की प्रक्रिया व्यस्क मताधिकार के आधार पर स्थापित की, जो पूरे जम्मू कश्मीर के लिए मान्य था। इस प्रक्रिया के द्वारा वहां पर लोकतान्त्रिक ढांचे की नीव रखी गयी। 15 फरवरी, 1954 को जम्मू कश्मीर संविधान सभा ने भी गंभीर विचार विमर्श के बाद महाराजा हरि सिंह द्वारा भारत में विलय के निर्णय को स्वीकृत किया।

17 नवंबर, 1956 को जम्मू कश्मीर संविधान सभा के द्वारा भारतीय संविधान को अंगीकार कर लिया गया, जिसमे जम्मू-कश्मीर के क्षेत्र और नागरिकों का स्वाभाविक विलय भारत के साथ हो गया। संविधान सभा में इस बात को भी जोड़ा गया कि भविष्य में विधान सभा संविधान द्वारा निर्मित ढांचे को बदल नहीं सकता, साथ ही जनमत संग्रह और सेल्फ डिटर्मिनेशन के सिद्धांत को भी नाकारा गया। सुरक्षा परिषद के द्वारा 30 मार्च की प्रस्तावना भी इस व्यवस्था को नहीं बदल सकता, क्योंकि 26 अक्टूबर, 1947 में लिया गया निर्णय राज्य के कानून और संविधान की मान्यताओं के अनुरुप है, विवाद की स्थिति में देसज कानून को ही मान्यता मिलती है।

संसद में हमने अनेकों बार स्वीकारा है कि पूरा कश्मीर भारत का हिस्सा है, पाक अधिकृत कश्मीर भी भारत का हिस्सा है। पिछले साल पूर्व विदेशमंत्री सुषमा स्वराज ने संसद में इस बात को रखा था कि

भारत की सोच और नीति यही है कि **जम्मू और कश्मीर भारत का अंग था, है और रहेगा।** इसमें कोई बदलाव नहीं है। पाकिस्तान तक़रीबन 78 हज़ार वर्ग किलोमीटर पर गैर क़ानूनी तरीके से कब्ज़ा बनाये हुए है। 1963 में पाकिस्तान ने सीमा समझौते के तहत 5180 वर्ग किलोमीटर हिस्सा चीन को दे दिया जो जम्मू कश्मीर का अंग था। इतिहास और संस्कृति के हर पन्ने में जम्मू कश्मीर भारत का अंग है. यह क्षेत्र भारत की सांस्कृतिक अस्मिता का धरोहर है।

एक लंबे अरसे के बाद आज दुनिया में भारत की स्थिति बहुत बेहतर है. जम्मू कश्मीर के मसले पर हर देश का समर्थन है। यहां तक कि चीन के टीवी चैनल ने पिछले साल पूरा जम्मू कश्मीर को भारत का अंग माना। परिस्थितियों को देखते हुए, भारत को अपने खोये हुए क्षेत्र को वापस लेने की कोशिश करनी पड़ेगी। 22 फरवरी , 1994 को भारतीय संसद ने सम्पूर्ण जम्मू कश्मीर के पक्ष में एक प्रस्ताव सर्वसम्मति से अनुमोदित किया था।. इसके प्रस्तावना में कहा गया था कि पाक अधिकृत कश्मीर भारत का अंग है, पाकिस्तान बलपूर्वक उस क्षेत्र को अपने कब्जे में लिए हुए है, भारत इस बात को बर्दास्त नहीं कर सकता। भारत ने इस क्षेत्र की अखंडता और सम्प्रभुता का भी हवाला दिया था। इस संसदीय प्रस्ताव के आलोक में आज यह जरुरी हो जाता है कि उस वादे को पूरा किया जाये।

संसद के २२ फरवरी, 1994 के प्रस्तावना में कई महत्वपूर्ण बाते कही गई थी।

1. जम्मू और कश्मीर का पूरा हिस्सा भारत का अंग है, अगर कोई भी शक्ति इससे विच्छेदित करने की कोशिश करता है तो, भारत उसका डटकर सामना करेगा।

2. भारत अपनी सम्प्रभुता, अक्षुण्णता और एकता को किसी भी तरह से विखंडित होने की इजाजत नहीं देगा।

3. भारत के जिन क्षेत्रों पर पाकिस्तान बलपूर्वक अधिकार जमाये हुए, उसे यथाशीघ्र खाली करे।

4. संसद का यह प्रस्ताव निर्विरोध स्वीकृत हुआ।

संकल्प प्रस्तावना-

राष्ट्रीय सुरक्षा जागरण मंच मजबूती के साथ इस बात की मांग करता है कि जम्मू कश्मीर संविधान और भारत के संसद की प्रस्तावना 22 नवंबर, 1994 के आलोक में चंद निर्णय यथाशीघ्र लिए जाएं।

1. समय हर तरीके से अनुकूल है कि हम विधानसभा की 24 सीटें जो पाक अधिकृत जम्मू कश्मीर के लिए आज तक खाली पड़ी हैं, उनको भरने की प्रक्रिया को पूरी करे। यह कार्य या तो प्रत्यक्ष चुनाव के द्वारा हो सकता है, या मनोनयन के द्वारा भी पूरा किया जा सकता है।

2. राज्य की विधान परिषद् की 7 सीटें जो खाली रखी जाती हैं, उन्हें भरा जाना चाहिए।

3. भारत के लोकसभा में एक सीट पाक अधिकृत कश्मीर के लिए आरक्षित होना चाहिए, जिसे मनोनयन के माध्यम से भरा जाए, इससे जम्मू कश्मीर का प्रतिनिधित्व और सशक्त होगा।

……